रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भागII—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई14, 2015/वैशाख24,1937

No.305] NEW DELHI, THURSDAY, MAY14, 2015/VAISAKHA24, 1937

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा–4)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2015

सा.का.नि. 382(अ).—दिल्ली विकास (विविध) नियमावली, 1959 के उप–नियम 4 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण,केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतदद्वारा उद्यान संवर्ग के विभिन्न पदों हेतु भर्ती विनियमों को बनाता/संशोधित करता है, जिन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

दि.वि.प्रा. में माली (नियमित) के पद हेतु भर्ती विनियम

क्रम सं.	भर्ती विनियमों का मानक प्रारूप/कॉलम	दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियमों में प्रावधान	दि.वि.प्रा. के भर्ती विनियमों में प्रस्तावित संशोधन	इन संशोधनों के लिए टिप्पणी/कारण
1	2	3	4	5
1.	पद का नाम	माली	माली	—
2.	पदों की संख्या	767 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	796 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार
3.	वर्गीकरण	समूह — 'घ'	समूह – 'ग'	छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा और दि.वि.प्रा. के परिपत्र सं. एफ–3 (289)10/पी.बी.–5 /डीडीए /पार्ट/ 1793 दिनांक 9.11.2010 के अनुसार वर्गीकरण में परिवर्तन किया गया है ।

4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/ वेतनमान	750–12–870–द. रो. – 14–940/–रु.	वेतनबैंड–1 5200–20200/–रु. ग्रेड वेतन 1800/–रु.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग केदि. 11.12.2009 परिपत्र सं0 14014/2/2009 –इस्ट (डी) अनुशंसाओं के अनुसार वेतनमान संशोधित किया गया है और दि.वि.प्रा. के परिपत्र सं. एफ–3 (289) 10/ पी.बी.–5 /डीडीए पार्ट/1793 दि. 9.11.2010 के द्वारा अपनाया गया ।
5.	चयन पद है अथवा अचयन पद	अचयन	लागू नहीं	क्योंकि 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा होगा ।
6.	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत देय है ?	नहीं	लागू नहीं	पेंशन नियमों के नियम –29 के नीचे जी आई डी को ध्यान में रखते हुए नियम –30 के प्रावधान लागू नहीं हैं ।
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा	18–25 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों एवं दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के लिए आयु–सीमा में 35 वर्ष तक की छूट । वर्कचार्ज कर्मचारियों के मामलों में भी उपरोक्त छूट दी गई है ।	18 से 25 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए और दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के लिए छूट)	—
8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	<u>अनिवार्य :</u> 1. मान्यताप्राप्त बोर्ड/ विद्यालय से प्राईमरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष । 2. बागवानी में एक वर्ष का अनुभव (साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए)	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष ।	छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार समूह 'ग' के कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए ।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु–सीमा एवं शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वाले और प्रतिनियुक्ति पर आने वाले व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी ?	—	लागू नहीं	भर्ती की पद्धति 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा है ।
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष	कोई परिवर्तन नहीं	—

3 उप

11.	भर्ती की पद्धति चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	1. सीधी भर्ती 2.नियमितिकरण :– वर्कचार्ज कर्मचारियों के लिए समय – समय पर निर्धारित नियमानुसार, बशर्ते कि कर्मचारी शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं पूरी करता हो ।	100 प्रतिशत सीधी भर्ती	—
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है ।	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	—
13.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है ?	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	—
14.	बचाव	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस संबंध में केंद्र सरकार/ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय – समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनु. जाति, अनु. ज. जाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।	कोई परिवर्तन नहीं	—
15.	निरर्हता	कोई भी ऐसा व्यक्ति :– (क) जिसने किसी भी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/ पति जीवित हो; अथवा (ख) जिसने पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो	कोई परिवर्तन नहीं	

		अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं ।		
16.	शिथिल करने की शक्ति	जब केंद्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं ।	जब अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं ।	

<u>दि.वि.प्रा. में वरिष्ठ माली के पद हेतु भर्ती विनियम</u>

क्रम सं.	भर्ती विनियमों का कॉलम/मानक प्रारूप	वरिष्ठ माली के प्रस्तावित भर्ती विनियम
1	2	3
1.	पद का नाम	वरिष्ठ माली
2.	पदों की संख्या	795 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/ वेतनमान	वेतन बैंड – 1., 5200–20200/–रु. ग्रेड वेतन –1900/–
5.	चयन पद है अथवा अचयन पद	अचयन पद
6.	क्या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम 1972) के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ स्वीकार्य है ।	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं

8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वाले और प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों के मामले में लागू होगी ?	लागू नहीं
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
11.	भर्ती की पद्धति –सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है ।	पदोन्नति हेतु माली के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।
13.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है ?	समूह 'ग' के कर्मचारियों के लिए कनिष्ठ स्तरीय की विभागीय पदोन्नति समिति, जिसे दि. वि. प्रा. द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया गया हो ।
14.	बचाव	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस संबंध में केंद्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनु.जाति, अनु.ज.जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।
15.	निर्हता	कोई भी व्यक्ति (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो; अथवा (ख) जिसने अपनी पत्नी/अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, वह उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा बशर्ते केन्द्र सरकार/दि.वि.प्रा. इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।
16.	शिथिल करने की शक्ति	जब अध्यक्ष दि. वि. प्रा. की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।

दि.वि.प्रा. में उद्यान पर्यवेक्षक के पद हेतु भर्ती विनियम

क्रम सं.	भर्ती विनियमों का मानक प्रारूप/ कॉलम	दि.वि.प्रा. के मौजूदा भर्ती विनियमों में प्रावधान	दि.वि.प्रा. के मौजूदा भर्ती विनियमों में संशोधन	इस प्रकार के संशोधनों हेतु कारण
1	2	3	4	5
1.	पद का नाम	उद्यान पर्यवेक्षक	कोई परिवर्तन नहीं	—
2.	पदों की संख्या	173* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	216 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	वास्तविक संस्वीकृत संख्या के अनुसार
3.	वर्गीकरण	समूह — 'ग'	कोई परिवर्तन नहीं	—

2123 GI/15-2